अनवान - बलराम आदि बनाम हनुमान वगैरह

किस्म मुकदमा :- 88-209 RTA प्रकरण सं. :- 125/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/02/26	पत्रावली पार्श्व लिपिक पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से दर्ज हो। निर्णय सुनाया गया। BL उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2023/392

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 125/2023 GCMS:-2023/392 दायर दिनांक : 02.06.2023

1. बलराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. बिरमाराम उर्फ ब्रहमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुगनराम पुत्र लिछमणराम (मृतक)

    3/1. सुमित्रा पत्नी गुगनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

    3/2. संजू पुत्री गुगनराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

    3/3. अनुप्रिया पुत्री गुगनराम पत्नी श्याम लाल जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.

    3/4. प्रमोद मूंड पुत्री गुगनराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. भागीरथ पुत्र लेखराम (मृतक)

    2/1. कलावती पत्नी स्व. भागीरथ

    2/2. हरचन्द

    2/3. तेजपाल

    2/4. सरोज

    (2/2–2/4: पुत्र/पुत्रीयां स्व. भागीरथ; 2/1–2/4: अकवाम जाट निवासीयान रामसरा नारायण हनुमानगढ़ (राज.))

3. राजस्थान सरकार बजरिये विधिक प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ वास्ते भू–धारक

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपस्थित :

1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 18.02.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के दिये जा चुके हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 110 में 16.02 बीघा, 110/2 में 50.03 बीघा व 126 में 31.16 बीघा, कुल 98.01 बीघा भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ पुत्र लेखराम से उसके हिस्से की 1/6 हिस्सा यानि 16.07 बीघा भूमि को दिनांक 05.01.1982 को पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र से बहिस्सा बराबर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया था। इसी प्रकार वादीगण ने उक्त खाते की भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 भागीरथ पुत्र लेखराम से उसके नाम अंकित 1/6 हिस्सा यानि 16.07 बीघा भूमि दिनांक 05.01.1982 को जरिये पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र द्वारा बहिस्सा बराबर खरीद की गई थी। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादीगण से 32.14 बीघा भूमि खरीद की थी, जिस पर वादीगण आज भी काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन वादीगण ने अज्ञानतावश उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण नहीं करवाया। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा परिवर्तन होकर रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 179 के खसरा नं. 264 में 10.373 है0, खसरा नं. 374 में 10.044 है0, खसरा नं. 378 में 15.560 है0, खसरा नं. 466 में 2.733 है0, खसरा नं. 604/466 में 4.554 है0, खसरा नं. 605/466 में 6.072 है0, व खसरा नं. 606/466 में 5.616 है0, कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम, वादीगण की खरीदशुदा भूमि को मिलाते हुए [illegible] हिस्सा यानि 52.01 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज [illegible] प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु होने पर प्रतिवादी सं. 2 के हिस्से [illegible] उनके वारिसों के नाम विरासतन

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

अंकित हुई। वादी सं. 3 गुगनराम की मृत्यु दिनांक 02.11.2020 को हो चुकी है, जिसके जायज वारिस वादीगण सं. 3/1 से 3/4 हैं। खरीद दिनांक से वादीगण सं. 1 से 3, व वादी सं. 3 की मृत्यु उपरान्त उसके वारिस वादीगण सं. 3/1 से 3/4 वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण ने पंजीकृत बैयनामा के आधार पर रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 179 के खसरा नं. 264 में 10.373 है0, खसरा नं. 374 में 10.044 है0, खसरा नं. 378 में 15.560 है0, खसरा नं. 466 में 2.733 है0, खसरा नं. 604/466 में 4.554 है0, खसरा नं. 605/466 में 6.072 है0, व खसरा नं. 606/466 में 5.616 है0, कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 स्वयं के नाम अंकित 520½ हिस्सा भूमि में से 327 हिस्सा अर्थात 16.07 बीघा एवं प्रतिवादी सं. 2 के नाम अंकित 520½ हिस्सा भूमि, जो वर्तमान में उसके स्वर्गवास उपरान्त उसके वारिसों प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/4 के नाम 6.584 है0 बारानी दर्ज कागजात है, में भी 327 हिस्सा अर्थात 16.07 बीघा, यानि कुल 32.14 बीघा भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादीगण सं. 1 से 2 को ब.हि.ब. व 1/3 हिस्सा भूमि का वादीगण सं. 3/1 से 3/4 को ब.हि.ब. का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

बाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2/1 से 2/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा प्रस्तुत कर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने का निवेदन किया।

जवाब प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया प्रतिवादीगण के नाम से रोही [illegible] तहसील सूरतगढ़ में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 [illegible] में ख.नं. 264 में 10.3730 है0, 374 में 10.0440 [illegible] 466 में 2.7330 है0, 604/466 में 4.5540 है0, [illegible] है0, 606/466 में 5.6160 है0, कुल 54.9520 है0 (34.5350 है0 बारानी प्रथम व 20.4170 है0 बारानी

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दोयम) में प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम 1041 हिस्सा अर्थात 52.01 बीघा बारानी प्रथम दोयम भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है ? (वादी)

(2) आया यह भूमि प्रतिवादीगण के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादीगण को विक्रय की गई है ? (वादी)

(3) आया वादीगण खरीद के आधार पर क्रय कृत भूमि के हस्तान्तरण ग्रहिता व कब्जा काश्त होने से खातेदार घोषित होने के पात्र हैं व इसी अनुसार अंकन के अधिकारी हैं व प्रतिवादीगण का नाम कलमजन योग्य है ? (वादी)

(4) आया वादीगण को ख.नं. 110, 111, 126 के नये खसरा वर्तमान अंकन से नहीं बने हैं ? (प्रतिवादी)

(5) अनुतोष।

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीगण की ओर से अनुप्रिया पुत्री गुगनराम, बिरमाराम व बलराम ने शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये। शपथ–पत्र एवं दस्तावेजी रिकॉर्ड हस्तान्तरण पत्र से वाद को सिद्ध करना वादीगण द्वारा बताया गया।

साक्ष्य आने के बाद पक्षकारान के तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दस्तावेजी रिकॉर्ड पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र दिनांक 05.01.1982 भागीरथ पुत्र लेखराम द्वारा अपनी रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ में कुल 98.01 बीघा भूमि में से अपनी 1/6 हिस्सा यानि 16.07 बीघा बारानी भूमि का वादीगण सं. 1 से 3 को विक्रय प्रदर्श करवाते हुए उनकी खरीद पूर्णतया सिद्ध बताई व इसी प्रकार द्वितीय पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र दिनांक 05.01.1982 हनुमान पुत्र लेखराम द्वारा इसी रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ में उक्त कुल 98.01 बीघा भूमि में से अपनी 1/6 हिस्सा यानि 16.07 बीघा बारानी भूमि का वादीगण सं. 1 से 3 को विक्रय प्रदर्श करवाते हुए उनकी खरीद पूर्णतया सिद्ध बताई। वादग्रस्त भूमि पंजीकृत बैयनामों के आधार पर वादीगण द्वारा खरीद किया जाना सिद्ध होना बताया। वर्तमान में जमाबन्दी का अवलोकन [illegible] संयुक्त खाता में रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जम[illegible] 2070 की खाता संख्या 179 के खसरा नं. 264 में 10.373 है0, खसरा नं. 374 में 10.044 है0, खसरा नं. 378 में

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

15.560 है0, खसरा नं. 466 में 2.733 है0, खसरा नं. 604/466 में 4.554 है0, खसरा नं. 605/466 में 6.072 है0, व खसरा नं. 606/466 में 5.616 है0, कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से 1041 हिस्सा भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 हनुमान, भागीरथ पि. लेखराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होना पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताया। वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ के फौत होने पर उसके नाम अंकित भूमि उसके वारिसों, जो प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/4 हैं, के नाम अंकित होना जमाबन्दी से सिद्ध होना बताया। वाद वादीगण उक्त खरीद के आधार पर पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताते हुए, वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। पैरोकार राज ने राज्य हित को सुरक्षित रखकर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

अभिभाषक वादीगण के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – <u>आया प्रतिवादीगण के नाम से रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 वर्तमान में ख.नं. 264 में 10.3730 है0, 374 में 10.0440 है0, 378 में 15.5600 है0, 466 में 2.7330 है0, 604/466 में 4.5540 है0, 605/466 में 6.0720 है0, 606/466 में 5.6160 है0, कुल 54.9520 है0 (34.5350 है0 बारानी प्रथम व 20.4170 है0 बारानी दोयम) में प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम 1041 हिस्सा अर्थात 52.01 बीघा बारानी प्रथम दोयम भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीगण द्वारा रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के खाता सं. 179 की सत्य प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार खसरा नं. 26[illegible] 374 में 10.044 है0, खसरा नं. 378 में 15.560 है0, [illegible] 33 है0, खसरा नं. 604/466 में 4.554 है0, खसरा नं. 605/466 में [illegible]72 है0, व खसरा नं. 606/466 में 5.616 है0, कुल 54.952 है0 (34.535 [illegible] बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम 1041 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

बहिस्सा बराबर खातेदारी भूमि अंकित है। प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसों के नाम नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है जो कि प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/4 दर्ज वाद-पत्र हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम रोही रतासर में 1041 हिस्सा अर्थात 52.01 बीघा बारानी खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज होना पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के द्वारा अलग-अलग विक्रय-पत्रों से वादीगण को 32.14 बीघा भूमि का विक्रय किया जाना दस्तावेजी रिकॉर्ड से पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। उक्त विवेचन से तनकी नं. 1 पूर्ण रूप से सिद्ध होती है, इसलिए तनकी नं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – <u>आया यह भूमि प्रतिवादीगण के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा वादीगण को विक्रय की गई है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण ने इसे दस्तावेजी रिकॉर्ड पंजीकृत विक्रय-पत्रों से पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। ये दस्तावेज लगभग 30 वर्ष पुराने हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस पर एतराज नहीं किया गया। सत्यता की सोच दस्तावेज के साथ जुड़ी हुई है। अतः उक्त तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – <u>आया वादीगण खरीद के आधार पर क्रय कृत भूमि के हस्तान्तरण ग्रहिता व कब्जा काश्त होने से खातेदार घोषित होने के पात्र हैं व इसी अनुसार अंकन के अधिकारी हैं व प्रतिवादीगण का नाम कलमजन योग्य है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 2 से भी है, जो पंजीकृत दस्तावेज के प्रदर्श करवाकर व प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा सिद्ध पूर्ण रूप से किया गया है। पंजीकृत दस्तावेज के साथ सत्यता की सोच जुड़ी हुई है, इसका कोई विरोध नहीं किया गया है, इसलिए तनकी नं. 3 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – <u>आया [illegible] 111, 126 के नये खसरा वर्तमान अंकन से नहीं [illegible] ?</u> (प्रतिवादी)

इस तनकी को [illegible] पर था। प्रतिवादी द्वारा इसे सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार की [illegible] प्रस्तुत नहीं किया। अतः तनकी नं. 4 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं. 1 से 3 बहक वादीगण व तनकी नं. 4 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जा चुकी है। वाद वादीगण पूर्ण रूप से सिद्ध है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 179 के खसरा नं. 264 में 10.373 है0, खसरा नं. 374 में 10.044 है0, खसरा नं. 378 में 15.560 है0, खसरा नं. 466 में 2.733 है0, खसरा नं. 604/466 में 4.554 है0, खसरा नं. 605/466 में 6.072 है0, व खसरा नं. 606/466 में 5.616 है0, कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील हनुमानगढ़ के नाम अंकित 520½ हिस्सा (यानि 1041 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा) भूमि में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादीगण सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर व 1/3 हिस्सा भूमि का वादी सं. 3 के माध्यम से वादीगण सं. 3/1 से 3/4 को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी प्रकार उक्त खाता में प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील हनुमानगढ़ के नाम अंकित रही 520½ हिस्सा (यानि 1041 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा) भूमि, जो वर्तमान में भागीरथ पुत्र लेखराम के फौत हो जाने पर जरिये इन्तकाल सं. 482/21.02.2012 उसके वारिसान कलावती पत्नी स्व. भागीरथ, हरचन्द, तेजपाल, सरोज पुत्र-पुत्रियां भागीरथ जाति जाट सा. रामसरा नारायण खातेदार के नाम 6.584 है0 ब.हि.ब. अंकित है, में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादीगण सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर व 1/3 हिस्सा भूमि का वादी सं. 3 के माध्यम से वादीगण सं. 3/1 से 3/4 को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता सं. 179 में अंकित कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील हनुमानगढ़ के नाम अंकित 520½ हिस्सा (यानि 1041 हिस्सा में से

क्रमशः ..... पेज 8 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1/2 हिस्सा) भूमि में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि कलमजन कर, इसमें से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 1 व 2 बलराम व बिरमाराम उर्फ ब्रहमाराम पुत्रगण लिछमणराम अकवाम जाट निवासीयान कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर व शेष 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 3/1 से 3/4 सुमित्रा पत्नी गुगनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़, संजू पुत्री गुगनराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, अनुप्रिया पुत्री गुगनराम पत्नी श्याम लाल जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व प्रमोद मूंड पुत्री गुगनराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार एवं कलावती पत्नी स्व. भागीरथ, हरचन्द, तेजपाल, सरोज पुत्र–पुत्रियां भागीरथ जाति जाट सा. रामसरा नारायण खातेदार के नाम अंकित 6.584 है0 ब.हि.ब. भूमि में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि कलमजन कर, इसमें से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 1 व 2 बलराम व बिरमाराम उर्फ ब्रहमाराम पुत्रगण लिछमणराम अकवाम जाट निवासीयान कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर व शेष 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 3/1 से 3/4 सुमित्रा पत्नी गुगनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़, संजू पुत्री गुगनराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, अनुप्रिया पुत्री गुगनराम पत्नी श्याम लाल जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व प्रमोद मूंड पुत्री गुगनराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष [illegible] प्रतिवादीगण के नाम यथावत अंकित रहेगी। वाद वादीगण [illegible] कर डिक्री किया जाता है। डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 19.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. बलराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. बिरमाराम उर्फ ब्रहमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. गुगनराम पुत्र लिछमणराम (मृतक)
   - 3/1. सुमित्रा पत्नी गुगनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
   - 3/2. संजू पुत्री गुगनराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 23 एल.जी. डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
   - 3/3. अनुप्रिया पुत्री गुगनराम पत्नी श्याम लाल जाति जाट निवासी 23 एल.जी. डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.
   - 3/4. प्रमोद मुंड पुत्री गुगनराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. भागीरथ पुत्र लेखराम (मृतक)
   - 2/1. कलावती पत्नी स्व. भागीरथ
   - 2/2. हरचन्द
   - 2/3. तेजपाल
   - 2/4. सरोज

   (2/2 से 2/4 पुत्र/पुत्रीयां स्व. भागीरथ) — अकवाम जाट निवासीयान रामसरा नारायण हनुमानगढ़ (राज.)
3. राजस्थान सरकार बजरिये विधिक प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ वास्ते भू–धारक

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 125 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल किताई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा एवं पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर जैरवाद संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 179 के खसरा नं. 264 में 10.373 है0, खसरा नं. 374 में 10.044 है0, खसरा नं. 378 में 15.560 है0, खसरा नं. 466 में 2.733 है0, खसरा नं. 604/466 में 4.554 है0, खसरा नं. 605/466 में 6.072 है0, व खसरा नं. 606/466 में 5.616 है0, कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील हनुमानगढ़ के [illegible] 1041 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा) भूमि में से 16.07 बीघा यानि 4.[illegible] भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादीगण सं. 1 व 2 को [illegible] हिस्सा भूमि का वादी सं. 3 के माध्यम से वादीगण सं. [illegible] बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है [illegible] में प्रतिवादी सं. 2 भागीरथ पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नाराय[illegible] तहसील हनुमानगढ़ के नाम अंकित रही 520½ हिस्सा (यानि 1041 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा) भूमि, जो वर्तमान में

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested

(डिक्री प्र.स. 125/2023 बलराम वगैरह बनाम हनुमान व अन्य)

भागीरथ पुत्र लेखराम के फौत हो जाने पर जरिये इन्तकाल सं. 482/21.02.2012 उसके वारिसान कलावती पत्नी स्व. भागीरथ, हरचन्द, तेजपाल, सरोज पुत्र–पुत्रियां भागीरथ जाति जाट सा. रामसरा नारायण खातेदार के नाम 6.584 है0 ब.हि.ब. अंकित है, में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि का वादीगण सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर व 1/3 हिस्सा भूमि का वादी सं. 3 के माध्यम से वादीगण सं. 3/1 से 3/4, को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की खाता संख्या 179 में अंकित कुल 54.952 है0 (34.535 है0 बारानी प्रथम व 20.417 है0 बारानी दोयम) खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हनुमान पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी रामसरा नारायण तहसील हनुमानगढ़ के नाम अंकित 520½ हिस्सा (यानि 1041 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा) भूमि में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि कलमजन कर, इसमें से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 1 व 2 बलराम व बिरमाराम उर्फ ब्रहमाराम पुत्रगण लिछमणराम अकवाम जाट निवासीयान कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर व शेष 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 3/1 से 3/4 सुमित्रा पत्नी गुगनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़, संजू पुत्री गुगनराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, अनुप्रिया पुत्री गुगनराम पत्नी श्याम लाल जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व प्रमोद मूंड पुत्री गुगनराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार एवं कलावती पत्नी स्व. भागीरथ, हरचन्द, तेजपाल, सरोज पुत्र–पुत्रियां भागीरथ जाति जाट सा. रामसरा नारायण खातेदार के नाम अंकित 6.584 है0 ब.हि.ब. भूमि में से 16.07 बीघा यानि 4.13655 है0 भूमि कलमजन कर, इसमें से 2/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 1 व 2 बलराम व बिरमाराम उर्फ ब्रहमाराम पुत्रगण लिछमणराम अकवाम जाट निवासीयान कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर व शेष 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 3/1 से 3/4 सुमित्रा पत्नी गुगनराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़, संजू पुत्री गुगनराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, अनुप्रिया पुत्री गुगनराम पत्नी श्याम लाल जाति जाट निवासी 23 एल.जी.डब्ल्यू. ढ़ाबां तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व प्रमोद मूंड पुत्री गुगनराम पत्नी रामनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं. 32, सूर्यनगर, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के नाम बहिस्सा बराबर बतौर खातेदार अंकित किये जावें के आदेश दिये जाते हैं शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम यथावत अंकित रहेगी।

नोज ....×......... मेहनताना ....×......... बाबत ....×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............... ....×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18-02-26 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:46 IST
Reason: SelfAttested